ऑष्ट्रिया में विदेशी ड्राइभिङ लाइसेंस

१) **इइए ड्राइभिङ लाइसेंस ***

ऑष्ट्रियामे इन की मान्यता होती हैं, पर स्वेक्षासे अष्ट्रियन लाइसेंस बदला जा सकता है ।

क्लास सी/सी१ ओर डी/डी१ बाहकों के लिये नोटः अगर आप ऑष्ट्रिया में रहते हैं और आपके पास किसी दुसरे **इइए** देशमें जारी कि गयी क्लास सी (सी१) ओर डी(डी१) की लाइसेंस हैं, आप की लाइसेंस जारी किये हुवे देशसे दिये गए तारिख पर एक्सपायर (समय समाप्त) होगा, लेकिन आपको इस्के लिए ऑष्ट्रियामे न्युमतम पाँच सालके लिए निवासी होना पडेगा ।

२) **गैर-इइए ड्राइविंग लाइसेंस**

मान्यताः **यदि आप ऑष्ट्रियाके निवासी बनगएहै तो,** अैर यदि आप १८ सालसे बढे हैं तो आपकी गैर-ऑष्ट्रियान ड्राइविंग लाइसेंस **आपके निवासी बननेक दिनसे ६ महिने तकके लिए मानी जएगी ।**

यदि आप ऑष्ट्रिया के निवासी नहीहैं और आप १८ सालसे बढे हैं तो आपकी गैर-ऑष्ट्रियान ड्राइविंग लाइसेन्स **आप के देश में प्रवेश होने के दिन से १२ महिने तक के लिए मानी जएगी**

अगर आपकी राष्ट्रिय ड्राइविंग लाइसेन्स जर्मन भाषामें नहीं है तो ये गुलाबी रंगमे ए से ई तक विभजित होना जरुरी है । अन्यथा ये एक अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइविंग अनुमति या एक अनुवाद (उदाहरण के लिये, ÖAMTC से) के साथ हि मान्यता दिया जएगा ।

ऑष्ट्रिया में निम्नलिखित देशोंकी ड्राइविंग लाइसेन्सको मान्यत **नहीं दि जाएगी**:

अफगानिस्तान, बोलिभिया, बुरुन्डी, क्यामरुन, चीन, कोस्टारिका, एल साल्वाडोर, होन्डुरस, इन्डोनेशिया, लिबिया, नेपाल, निकारागुआ, ओमन, सोलोमोन आइलैंड, सुडान, तान्जानिया, टोंगा, यमन ।

३) **ड्राइविंग लाइसेंस बदलनेके लिए:**

अगर आपके पास **गैर-इइए ड्राइविंग लाइसेंस हैं और आप ऑष्ट्रिया के निवासी बन गए हैं तो,** आपको निम्न जरियेसे ६ महिने के अन्दर में अष्ट्रियन ड्राइविंग लाइसेंसें बदलनी पडेगी:

क) निम्न गैर-**इइए** देशोंकी ड्राइविंग लाइसेंसको ऑष्ट्रियामें जारी किये गए ड्राइविंग लाइसेंसके बराबर मानी जाती हैं और उन्हें ऑष्ट्रियान लाइसेंसमें बदलनेके लिये कोही प्रैक्टिकल जाँच **नहीं देनी** पडेगी ।

*** ये देश इइए के सदस्य हैं:** बेल्जियम, बुल्गोरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेज रिपब्लिक, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिचटेंसटेन, लिथुआनियां, लक्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, नर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमेनियां, स्लोभाकिया, स्लोभेनियां, स्पेन, स्वीडेन, युके ।

सब वर्गों के लिये: अन्डोरा, गर्नसी, आइजल अफ म्यान, जपान, जर्सी, मोनाको, सन मारिनो, स्वीटजरलैंड, र्सयिबा ।

वर्ग बी के लिये: अष्ट्रेलिया, बोस्निया और हर्जगोविना, क्यनडा, हांग कांग, इजरेल, मैसिडोनिया, न्युजिल्याण्ड, गणतांत्रीक दक्षिण अफ्रिका, गणतांत्रीक दक्षिण कोरिया (अगर ड्राइविंग लाइसेंस १ जनवरी १९९७ के बाद जारी कि गयी है तो), संयुक्त अरब इमिरेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका ।

ख) अन्य गैर **ईईए** देशोंके ड्राइविंग लाइसेंस वालोंको ड्राइविंग स्कुलकी गाडी में प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पास करना पढ्ता है, पर परीक्षाके लिए कुछ फीस देनी होगी ।

ग) ऑष्ट्रियावासी जिस्ने ईईए देशोंसे बाहरकी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया है उनको भि यही विनियम जारी करते है ।

४) ड्राइविंग लाइसेंसको बदलनेके लिए जिम्मेवार प्राधिकारी:

- आप जिस जगह रहते हैं वहां संघीय प्रहरी मुख्यालय (Landespolizeidirektion), या भिएनामे द मोटर भेहिकल डिपार्टमेंट (Verkehrsamt), या
- आप जिस जगहमे रहते हैं वहींकी जिल्ला प्रशासनिक प्राधिकार (Bezirkshauptmannschaft or Magistrat) । ऑष्ट्रियाके सभी लाइसेंस प्रशाषकिय कार्यालयमे विदेशी लाइसेंसको ऑष्ट्रियन लाइसेंसमें बदल जा सकत है ।

५) प्राधिकारों के लिये आवश्यक कागजात:

- लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र (Führerscheinantrag)
- जन्म प्रमाणपत्र
- फोटो सहित आईडी कार्ड
- मेडिकल सर्टिफिकेट (ärztliches Gutachten), १८ महिने से ज्यादा पुराना नहीं
- पुरानी गैर-ऑष्ट्रियान ड्राइविंग लाइसेंस
- गैर-ऑष्ट्रियान ड्राइविंग लाइसेंस का अनुवाद -öAMTC मे उपलब्ध है - सदस्यों के लिए मुफ्त, गैर-सदस्य के लिए €१८ । बोस्निया और हर्जगोविना, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, सर्विया, स्विट्जरलैंड ओर टर्की के लिये आवश्यक नहीं । इजरायल के लिये, एम्बेसीकी अनुवाद आवश्यक है ।
- आवास रजिस्टर फर्म (Meldezettel)
- एक पासपोर्ट फोटो (३६-४५ मीमी ह २८-३५ मिमी)

नोट किजीए: भिएनामें मूल दस्तावेजों के साथ फोटोकापी देनी पढती है: पुराने ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट की दो दो फोटो कापियां, आवास रजिस्ट्रेशन फर्म की १ कापि ।

पुराना ड्राइविंग लाइसेंस अधिकृतको देनी पढ्ती है । अब क्रेडिट कार्ड जेसै ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी होते हैं, नयाँ लाइसेंस आप को डाक से भेजा जाता है ।
फीस (बिना परीक्षा फीस के) : €60.50

६) महत्वपूर्ण टिप्पणीयां:

अगर कोइ गाडी बिना किसि मान्य ड्राइविंग लाइसेंस वगैर चलाइगइ है तो कोइ ट्राफिक एक्सिडैंट होने पर इंस्योरेंससे कुछभी नहीं मिलेगा और ड्राइवर या गाडीके मालिकसे खर्चे दावी किया जा सकती है । अगर गाडी किसी दुसरे व्यक्तिको चलानेकको दिया गया है, तो गाडीकी मालिकको उस व्यक्तिके साथ मान्य ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं सुनिश्चित करना पड्ता है । मोपेड चलानेके लिये मोपेड ड्राइविंग लाइसेंस की जरुरत होती है ।

उचित अधिकत के पास दर्ता करने पर हि मोटर वाले गाडी ऑष्ट्रियाके सड्को पर प्रयोग किया जा सकता है, अैर लाइसेंस प्लेट प्रदर्शन करने से ।

७) गाडी रजिस्टर करनें के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणीयां:

- ऑष्ट्रियामे मुख्य आवास होने वाले व्यक्तिके नाममें हि कोई भि गाडी रजिस्टर कि जा सकती है ।
- बिमा (इंस्योरेंस) कंपनियोंमे रजिस्ट्रेशन अफिस (Zulassungsstellen) हाती है, जो कि गाडियों के अैपचारिक रजिस्ट्रेशनकी व्यवस्था के जिमेदार हैं । गाडियां आपके मुख्य निवासके जगह पर ही रजिस्टर होनी चाहिये: ये वह जगह है जहां आप आम तौर पर रहते हैं (यह जरुरी है कि आप स्थानीय नगरपालिका अधिकारियों के पास जाकर एक निवासी के रुप में रजिस्टर करें) ।

गाडी रजिस्टर करने के लिये आप को चाहिये:

- गाडी की कानूनी स्वामित्व की प्रमाण (जैसे कि खरिद या दान का करारनामा है तो)
- दायित्व बीमा (Haftpflichtversicherung) लेने कि पुष्टि
- फोटो सहित एक मान्यनित परिचय पत्र (कृपया नोट करें: आवास अधिकार कार्ड (Aufenthaltsberechtigungskarte) /व्हाइट कार्ड परिचय का प्रमाण नहीं है)
- गाडी रोडके लिये उचित और अच्छी मैकानिकल अवस्थामें होनी चाहिए, इसिलिए गैरेज का एक मान्यनित प्रमाणपत्र दिखाना होता है ।
- गाडी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क लगभग € १९० है ।

मूख्य निवास में बदलावः

यदि आप निवास बदल जाँएतो आपको रजिस्ट्रेशन अफिसमे सम्पर्क करना पडेगा, जो परिवर्तित रजिस्ट्रेशन कागजात जारी करेगें । अगर नयां निवास किसि दुसरे प्राधिकारके इलाकेमें है तो गाडीको फिर से रजिस्टर करवान पडेगा । हर स्थितिमें आपकी बिमा कंपनीको पता बदलनकी सूचना देना पडेगा ।